झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–166 वर्ष 2017

संजीत कुमार महतो .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य अपने सचिव, एच0आर0डी0 विभाग, झारखंड के माध्यम से

2. निदेशक, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, रांची

3. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री वी0के0 त्रिवेदी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– जी0पी0–IV के ए0सी0

2/31.01.2019 याचिकाकर्त्ता के लिए उपस्थित अधिवक्ता एवं उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्त्ता को इंटर प्रशिक्षित प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में दिनांक 29.12.2015 को नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्त्ता परिवीक्षा पर था जब उसे इस आधार पर सेवा से हटा दिया गया था कि उसके पास डी0पी0ई0 (प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा) प्रमाण पत्र नहीं था। संक्षिप्त में, जो याचिकाकर्त्ता उठाता है, वह यह है कि उसे आक्षेपित आदेश को पारित करने से पहल कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया

था। उन्होनें प्राकृतिक न्यायके सिद्धांत का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। रिट याचिका के पैराग्राफ–27, 28 और 29 में विशिष्ट दलीलें हैं कि बर्खास्तगी के आदेश को पारित करने से पहले याचिकाकर्त्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।

राज्य ने जवाबी हलफनामा दायर किया है और उन पैराग्राफों में दिए गए बयानों को खारिज नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि वे उपरोक्त पैराग्राफों में दिए गए बयानों को स्वीकार करते हैं।

. इस प्रकार, स्वीकार किए गए तथ्य के मद्देनजर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना हटाना/वियुक्त का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, इस रिट एप्लिकेशन की अनुमति है। आदेश सं0–3346 दिनांकित 29.09.2016 को इसके द्वारा अपास्त किया जाता है और मामला प्रत्यर्थी सं0–2 को वापस भेज दिया जाता है, जो याचिकाकर्त्ता को अवसर देने के बाद इस मामले में नए सिरे से कार्यवाही करेंगे और उसके बाद कानून के अनुसार एक उचित युक्तियुक्त आदेश पारित करेंगे।

(आनंदा सेन, न्याया0)